UPMO010084532023

पीठासीन अधिकारी- (अंजना), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06138

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, मुरादाबाद

फौजदारी निगरानी सं0 297 / 2023

1. सिफ़ातुन नबी खां पुत्र श्री इनायत नबी खां मरहूम,
निवासी मौहल्ला दरोगा जी का फाटक, मौहल्ला दीवान का बाजार, थाना–नागफनी, तहसील व जिला–मुरादाबाद।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, मुरादाबाद।
2. श्रीमती शाइस्ता नूर पत्नी नूरउन नबी खां मरहूम,
निवासी–हाल सुपरटेक प्लाज़ा–स्ट 99 / 103 राजेन्द्र कुमार, सेक्टर–5, साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, जिला–गाज़ियाबाद।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1 यह फौजदारी निगरानी विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0–56767 सन् 2022, शाईस्ता बनाम सिफातुन नबी खां आदि में पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता / अभियुक्त को उक्त परिवाद में तलब करने संबंधी आदेश पारित किया गया है।

2 संक्षेप में, निगरानीकर्ता का निगरानी में कथन इस प्रकार है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 न्याय, नियम तथा वास्तविकता के विरूद्ध है। निम्न न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित करने में इल्लीगेलिटी तथा मेटेरियल इररेगुलेरिटी की है। निम्न न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित करते हुए उन

Digitally signed by ANJANA
Date: 2026.03.06 17:10:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जो उनमे निहित थे तथा उन अधिकारों का प्रयोग किया है जो उनमे निहित नहीं थे। रिकॉर्ड से स्पष्टतः प्रमाणित है कि रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 मुरादाबाद में निवास नहीं करती है तथा ना उसका आधार कार्ड मुरादाबाद का है। यह कि रिकॉर्ड से स्पष्टतः प्रमाणित है कि कथित घटना के सम्बन्ध में कोई मेडिकल प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिकॉर्ड से स्पष्टतः प्रमाणित है कि मकान के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में विवाद 2015 से विचाराधीन है। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्टतः प्रमाणित है कि मकान के सम्बन्ध में न्यायालय ए०सी० जे०एम० कोर्ट सं0–2, मुरादाबाद के न्यायालय में मूलवाद सं0–589 सन् 2015 सिफातुन नबी खां बनारम हयातुन नबी खां आदि विचाराधीन है जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2018 अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया था जिसकी अपील हयातुन नबी खां द्वारा की गई थी, जो खारिज हुई। वास्तविकता यह है कि रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 के पति का देहान्त अपने माता के जीवनकाल में हो जाने के कारण शरीयत के अनुसार रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 व उसकी संतानें सम्पत्ति से ना हक हो चुकी हैं। वास्तविकता यह भी है कि मकान के सम्बन्ध में विवाद के विचाराधीन होने की जानकारी रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 को भली–भांति रही है। रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 द्वारा परिवाद दिनांक 09.11.2022 को प्रस्तुत किया है जबकि विपक्षी सं0–2 व उसके पुत्र फैजनूर द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर दिनांक 20.09.2022 को न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) मुरादाबाद के न्यायालय में घोषणात्मक आज्ञप्ति व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे रिवीजनिस्ट को पक्षकार नहीं बनाया, मात्र हयातुन नबी खां, हिमायत नबी खां व नसीम उस सुबाह को पक्षकार बनाया तथा फोल्यूजन करते हुए वाद निर्णीत कराना चाहते थे जिसकी जानकारी होने पर रिवीजनिस्ट द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिया गया जो दिनांक 18.08.2023 को स्वीकार हो गया। रेस्पोन्डेन्ट सं0–2 द्वारा रिवीजनिस्ट को दिक व परेशान करने की नियत से उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए पुलिस रिपोर्ट का ठीक प्रकार अवलोकन न करने में त्रुटि की है। रिकॉर्ड से भली–भांति सिद्ध है कि सिविल मामले को प्रमाणित करने की गरज से मिथ्या परिवाद योजित किया गया है। रिकॉर्ड से स्पष्टतः प्रमाणित है कि आदेश दिनांक 26.07.2023 विवेक पर आधारित नहीं है तथा मनमाना है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 स्थापित रहने से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। तद्नुसार उपरोक्त दर्शाये गये कारणो से न्यायालय ए०सी० जे०एम० कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद से परिवाद संख्या–56767 सन् 2022, थाना नागफनी, धारा–452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, शाईस्ता बनाम सिफातुन नबी खां की पत्रावली तलब की जाकर दोनो पक्षों को

सुनने के उपरान्त रिवीजनिस्ट का रिवीजन स्वीकार किया जाकर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 दोनो न्यायालयों के व्यय सहित अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

3 विपक्षी सं0 2 पर तामीला पर्याप्त होने के बावजूद वह उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से वाद में प्रतिनिधित्व करने हेतु कोई उपस्थित है।

4 निगरानीकर्ता के तर्कों के अभिखण्डन में विपक्षी सं0–1 विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामला परिवाद पर पंजीकृत कराया गया है तथा परिवाद में धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश में निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया परीक्षण हेतु मामला पाया गया है। न्यायालय को मात्र इतना ही देखना होता है कि प्रथम दृष्टया अग्रिम कार्य किये जाने के लिये मामला बनता है अथवा नहीं। प्रश्नगत आदेश विधि पूर्ण है। आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः विपक्षी सं0 1 राज्य की ओर से निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5 निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0 1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

6 **<u>धारा 397 दं0प्र0सं0–निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अभिलेख मंगाया जाना</u>**–माननीय उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को निगरानी अधिकारिता के अन्दर, अवर दण्ड न्यायालयों से अभिलेख मंगाने की शक्ति इस धारा के अधीन प्रदान की गयी है तथा जिन आधारों पर इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह निम्नतः दो हैं :–

(क)– जहॉ निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश अवैध या अनुचित है; और

(ख) जहॉ कार्यवाहियां अनियमित है।

7 "**अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र एवं अन्य 2012 (3) जे0आई0सी0 पृ0 772 (एस0सी0)**" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से किया जाना चाहिये। न्यायालय को निगरानी के क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिये जहॉ पर :–

क–जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत हो,

ख–विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो,

ग–बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिया गया हो,

घ–विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया हो, अथवा

ड़–न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से या तर्कों के विरूद्ध किया गया हो।

8 निगरानीकर्ता का निगरानी में संक्षेप में कथन है कि अवर न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का सही प्रकार से प्रयोग नही किया और पत्रावली पर पर उपलब्ध साक्ष्य का भी अवलोकन नही किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 न्याय, नियम तथा वास्तविकता के विरूद्ध है। निम्न न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित करने में इल्लीगेलिटी तथा मेटेरियल इररेगुलेरिटी की है। निम्न न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित करते हुए उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जो उनमे निहित थे तथा उन अधिकारों का प्रयोग किया है जो उनमे निहित नहीं थे। कथित घटना के सम्बन्ध में कोई मेडिकल प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिकॉर्ड से स्पष्टतः प्रमाणित है कि मकान के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में विवाद 2015 से विचाराधीन है।मकान के सम्बन्ध में न्यायालय ए०सी० जे०एम० कोर्ट सं0–2, मुरादाबाद के न्यायालय में मूलवाद सं0–589 सन् 2015 सिफातुन नबी खां बनारम हयातुन नबी खां आदि विचाराधीन है। तद्नुसार निगरानी सव्यय स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने की मांग की गयी है।

9 तलबी आदेश पारित करते समय न्यायालय को धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का ही मूल्यांकन करना होता है। अतः इस स्तर पर मात्र यह देखना होता है कि परिवाद में जांच के दौरान प्रस्तुत की गयी साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के परीक्षण हेतु तलब किये जाने का मामला बनता है अथवा नहीं। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा '**ठाकुर सिंह आदि (निगरानीकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि (विपक्षी) 2002 कि0लॉ0ज0 131 इलाहाबाद**' में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तलबी आदेश को निम्नलिखित सीमित आधारों पर ही निरस्त किया जा सकता है :–

क–जहॉ शिकायत में लगाये गये आरोप और उनके समर्थन में दी गयी साक्ष्य, भले ही उनके अंकित मूल्य पर ली गयी हो, से कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है।

ख–जहॉ शिकायत में लगाये गये आरोप एवं उनके समर्थन में दी गयी साक्ष्य स्पष्ट रूप से इतने बेतुके एवं स्पष्ट रूप से असम्भव हो कि कोई भी विवेकशील व उचित व्यक्ति भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अभियुक्तगण के

विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है।

ग–जहॉ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने में प्रयोग किया गया विवेक मनमाना है, जो या तो ऐसी साक्ष्य या सामग्री पर आधारित है जो पूरी तरह अप्रासंगिक एवं अस्वीकार्य है।

घ–जहॉ शिकायत में कोई मौलिक विधिक दोष है जैसे कि मन्जूरी का अभाव या विधिक रूप से सक्षम व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराना एवं इसी तरीके की अन्य बातें।

10 महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिवाद में परिवादी/परिवादिनी के द्वारा दिये गये अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मजिस्ट्रेट को केवल प्रथम दृष्टया मामला ही बनना देखा जाना होता है।

11 उल्लेखनीय है कि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी/पीड़िता साक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में घटना का पूर्णतया समर्थन किया है तथा कथन किया है कि ''मेरे पति घर में बड़े थे। मैं पैतृक संपत्ति पर आती जाती थी। देवर, पत्नी और बेटी घर पर रहते थे। मैं आती हूँ तो कहती है कि तुम्हारा पति मर चुका है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है। मेरा एक बेटा है। दिल्ली में नौकरी करता है। 05/10/2022 दशहरे का दिन था, फाटक नहीं खोला। मैं अंदर घुसी तो मुझे मारने–पीटने लगे। मेरी इनसे सुरक्षा की जाए, जान से मारने की धमकी देते हैं। मारा–पीटा और जमीन पर गिरा दिया''। परिवादिनी द्वारा परिवाद कथानक के समर्थन में धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत पी0डब्ल्यू0–1 शारिक अली एवं पी0डब्ल्यू0–2 हयातुन नबी खां को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य में घटना को समर्थित किया गया है। उक्त के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को आधार मानकर ही विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, वह उचित एवं तर्क संगत है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इतना साक्ष्य उपलब्ध है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विचारण हेतु प्रथम दृष्टया धारा 452,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आहूत किया गया है।

12 उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रश्नगत आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा

पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है तथा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पारित किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त उचित आधार दर्शित नहीं होता है। अतः विद्वान न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 01, जिला मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–56767/2022, शाइस्ता बनाम सिफातउन नबी आदि, अंतर्गत धारा 452,504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में पारित आदेश दिनांकित 26.07.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 01, जिला मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–56767/2022, शाइस्ता बनाम सिफातउन नबी आदि, अंतर्गत धारा 452,504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में पारित आदेश दिनांकित 26.07.2023 पुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय की तलबीदा पत्रावली कार्यालय अविलम्ब इस निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वह नियत दिनांक 11.03.2026 को व्यक्तिगत रूप से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 06.03.2026

(अंजना)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6138)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 06.03.2026

(अंजना)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6138)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।